



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4653 वर्ष 2026

ऋत्त्विक यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्वेता श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक की ओर से यह वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या- 355 वर्ष 2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली नगर, जिला- बाराबंकी में विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे जोड़ा कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और केवल संदेह के आधार पर ही उसे फंसाया गया है। वे आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 07.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। वे तर्क करते हैं कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात यह दर्शित होता है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और दिनांक 07.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत आवेदन के प्रस्तर 18 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय के प्रथम दृष्टया समाधान, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-ऋत्विक् यादव को संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतदार) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। बिना किसी पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक नियत तिथियों पर (i) प्रकरण की सुनवाई करने, (ii) आरोप विरचित करने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

प्रतिभूतियों (जमानतदारों) की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में अवर न्यायालय को जमानत रद्द करने तथा आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां पूर्ण रूप से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर किसी भी प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

जून 29, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।